न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 16/2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 पानीदेवी पुत्र लाबूराम जाति जाट निवासी रेन्दडी तहसील सोजत		1 जोराराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी रेन्दडी तहसील सोजत 2 गुटकीदेवी पत्नि मंगलाराम जाति जाट निवासी रेन्दडी 3 ग्राम पंचायत रेन्दडी तहसील सोजत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थित :–

1. श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री जगदीश चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 27/07/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 32/2012 पानीदेवी बनाम जोराराम में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2016 को अपास्त करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में दिनांक 12.12.2016 को तारीख पेशी मुकर्रर थी तथा इस दिनांक को राजकीय अवकाश होने के कारण पेशी दिनांक 13.12.2016 को न्यायालय में पेश हुई तथा इस दिनांक को प्रोसेस फीस पेश नही करने के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र डिफाल्ट में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीया द्वारा मेहनताना एवं खर्चा उपलब्ध नही करवाया गया, इस कारण न्यायालय में प्रोसेस फीस व सम्मन भर कर प्रस्तुत नही किया जा सका। जिसके कारण प्रार्थना पत्र डिफाल्ट में खारिज कर दिया गया, जो विधि एवं प्रावधानों के विरूद्ध है। प्रार्थीया को समय दिया जाना आवश्यक था एवं प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा समय भी चाहा गया, किन्तु न्यायालय द्वारा समय नही दिया गया। इस कारण से आदेश विधि सम्मत नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावे एवं प्रकरण की मेरीट पर सुनवाई की जाकर न्यायोचित निर्णय पारित करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 46/2011 में विधिवत सुनवाई की जाकर दिनांक 25.02.2011 को निर्णय पारित किया गया है। इस निर्णय को रिव्यू करने हेतु प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.05.2012 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता को बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी की तलबी व प्रोसेस फीस प्रस्तुत नही करने के कारण प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2016 को खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक

अति० जिला कलक्टर, पाली

अशुद्धता नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 32/2012 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया है। यह प्रकरण दिनांक 10.05.2012 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, तब प्रथम व अन्तिम बार प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पी0एफ0 नोटिस पेश किये, इसके पश्चात वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक चार वर्ष की लम्बी अवधि व्यतीत होने तथा प्रार्थी अधिवक्ता को बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी इस प्रार्थना पत्र में तलबी व प्रोसेस फीस प्रस्तुत नही करने के कारण प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2016 को खारिज किया गया है। कानूनन न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात सात दिवस की अवधि के भीतर पी0एफ0 नोटिस पेश करना आज्ञापक है। इस तथ्य का विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण पत्रावली पर नही आया तथा न ही विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि यह कैसे संभव है कि प्रार्थी द्वारा चार वर्ष की अवधि तक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क ही नही किया हो ? यदि यह मान भी लिया जावे कि प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क नही किया हो, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा मात्र प्रकरण को लम्बा करने तथा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 35/2012 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2016 की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2016 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर दिनांक 24.01.2017 को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदान की जा चुकी थी। इसके पश्चात द्वितीय आवेदन पत्र वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.03.2017 को प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 27.03.2017 को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी वकील प्रार्थी को प्रदान की गई। वकील प्रार्थी द्वारा द्वितीय प्रार्थना पत्र को परिसीमा का आधार बनाते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। दिनांक 24.01.2017 से 27.03.2017 के बीच की अवधि को प्रार्थी द्वारा छुपाया गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आया है। इस कारण प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से सुनवाई योग्य नही है। इसके अतिरिक्त आदेश 9 नियम 2, 3, 5 के तहत खारिज किये गये वाद पर नये वाद उस स्थिति में संस्थित किये जा सकते है, जब वह परिसीमा विधि से बाधित नही हो। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन, उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत तर्को एवं पूर्व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है। प्रार्थी इस तथ्य को स्पष्ट करने में पूर्णतः असफल रहे है कि चार वर्ष की अवधि तक प्रकरण में दिये गये आदेशों की पालना उनके द्वारा किन परिस्थितियों के कारण नही की गई ? तथा यह क्यों नही माना जावे कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण को मात्र लम्बा करने की गरज से पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था ? इन तथ्यों को विद्वान अभिभाषक प्रार्थी स्पष्ट करने में असफल रहे है। इस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अति० जिला कलक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/07/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली